46/2016

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDIC



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH T 265702

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

महर्षि बाबा गालू दास बहुआयामी गंगासागर शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान ट्रस्ट (न्यास)

ग्राम–शाहमुहम्मदपुर, पो0–चन्द्रवार, तह0–रसड़ा, जिला–बलिया (उ0प्र0)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 22.11.2016 को तहसील रसड़ा जिला–बलिया में श्री जनार्दन यादव उम्र 55 वर्ष पुत्र स्व0 गंगासागर यादव, ग्राम शाहमुहम्मदपुर, पो0 चन्द्रवार, तह0 रसड़ा, जिला बलिया (उ0प्र0) द्वारा घोषित किया गया है। जिन्हें आगे न्यासकर्ता/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/मैनेजिंग ट्रस्टी कहा जायेगा। क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक के पास रूपया 5000.00/– मात्र की राशि है। जिसे पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है न्यासकर्ता/मुख्य संस्थापक उक्त राशि के प्रति न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का प्रबन्धक कहा जायेगा। न्यासकर्ता/मुख्य संस्थापक/प्रबन्धक की यह सभी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतो से दान, उपकरण ऋण आदि भी सम्मिलित है। जिसके द्वारा ट्रस्ट का कोष सम्पदा एवं साधन को और बढ़ाया जा सके। ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सकें, और न्यासकर्ता/मुख्य संस्थापक/प्रबन्धक ने अपनी इच्छा को अनुकूल रूपया 5000.00/– नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की हैं।

परिषद विनियमों के अध्याय–सात के विनियम–6 के पश्चात संशोधित स्वरूप नवीन विनियम 6 (ख) के अनुसार इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट–

न०१६८ छा० 22- 99- 2016-400/ मांगे श्री जमालुद्दीन पारस एवं अ० गणेशलाल
पारस निवासी शाहमुहम्मदपुर पो०-चन्डवार तहसील बांसिया

रमेश
सहा०/प्र० उप रोकड़िया
उप कोषागार-रसड़ा, बलिया

0 2 NOV 2016



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 408794

ट्रस्ट का नाम व पता निम्नवत हैं–

ट्रस्ट (न्यास) का नाम – महर्षि बाबा गालू दास बहुआयामी गंगासागर शिक्षण–प्रशिक्षण सेवा संस्थान ट्रस्ट (न्यास)

ट्रस्ट का पता –

ग्राम	शाहमुहम्मदपुर
पोस्ट	चन्द्रवार
थाना	रसड़ा
तहसील	रसड़ा
जनपद	बलिया (उ0प्र0)

वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम, शाहमुहम्दपुर पो0 चन्द्रवार तहसील रसड़ा, जिला–बलिया उ0प्र0 है। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलनेपरइस कार्यालय को समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थान्तरित किया जा सकेगा। क्योकि न्यासकर्ता/मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उद्देश्य निम्न प्रकार धारा वद्ध घोषित किया जाता हैं–

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अर्न्तगत कार्यरत ट्रस्ट)

1: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मानव जाति के विकास एवं उन्नति के लिए पूर्व–प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक/बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, अनावासीय, विद्यालयों, कान्वेण्ट, विद्यालयों, बालश्रमिक विद्यालयों, आश्रम पद्धतिविद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों बौद्ध विद्यालयों, हरिजन विद्यालयो, अम्बेडकर विद्यालयों, उर्दू, अरबी,

नं. 926 तारीख 22-11-2016-20/पंचायत आवास लि.नि. रसड़ा

यात्रा पत्र

5,000.00 — 100.00 — 23 पंजीकरण शुल्क रु.

धारा की राशि — पीछे रसीदी — नकल व प्रति शुल्क — प्रति शपथपत्रों की संख्या

10 NOV 2016

श्री जनार्दन यादव
पुत्र श्री स्वo गंगासागर यादव
व्यवसाय जनार्दन यादव
निवासी ग्राम रघुनाथपुर उ0 रसड़ा जि0 बलिया
अस्थायी पता

ने यह शपथपत्र इस कार्यालय दिनांक 23/11/2016 समय 12:52PM
करने निष्पादन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
Asim
आजाद सिंह
उप निबन्धक रसड़ा
रसड़ा
23/11/2016

निष्पादन शपथपत्र पढ़ कर सुनने व समझने मजमून
शपथी
श्री जनार्दन यादव जनार्दन यादव
पुत्र श्री स्वo गंगासागर यादव
पेशा
निवासी रघुनाथपुर उ0 रसड़ा जि0 बलिया

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिसकी पहचान पु0 एकराम एकराम
पुत्र श्री
पेशा
निवासी उसरपट्टी रसड़ा जि0 बलिया
ने रामधारे यादव रामधारे यादव
स्व0 श्री देव देव यादव
पेशा
निवासी छितौनी उ0 रसड़ा जि0 बलिया

उपरोक्त मय दलीलों के निशान अंगूठे निशानुमार लिया गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
Asim
आजाद सिंह
उप निबन्धक रसड़ा
रसड़ा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 408795

फारसी, हिन्दी तेलगू, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों, विकलांग विद्यालयों, प्रौढ़ शिक्षाकेन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, ऑगन बाड़ी, बाल बाड़ी पुष्टाहार योजनाओं, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों किसान मवद्यालयों, चरवाहा विद्यालयों, बालिका विद्यालयों महाविद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

2: निःशुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्रीडास्थलों, छात्रावासों, अनाथालयों वृद्धाश्रमों, विधवाश्रमों, नारी निकेतनो बालसंरक्षण गृहों सामुदायिक उत्पादन केन्द्रो, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं, आदि की स्थापना एवं संचालन करना

3: बाल श्रमिकों का चिन्हीं करण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बधुओं मजदूरों को मुक्त करा कर उन्हें तथा बालश्रमिकों को शिक्षित प्रशिक्षित कर स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना

4: विकलांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग, भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिमअंगों का व वितरण करना।

5: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत, कम्प्यूटर हार्ड वेयर, कम्प्यूटर साफ्ट वेयर, इण्टरनेट, साइबर कैफ, सिलाई, कढाई, कटाई, बुनाई, तकनीकी, कुटीर, शिल्पकला, हस्तशिल्पकला, काष्ठकलाकम्प्यूटर, टंकण, आशुलिपि, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स, पेटिंग, जरीकढाई, चिकनढाई, कालीनबुनाई, दरी बुनाई, संगीत, नाट्य बाद्य, कला, नृत्य मोटर ट्रेनिंग कालेजों, कृषि अनुसंधान केन्द्रों, ब्यूटीपार्लरों, फोटोग्राफी, ए.सी रेफिजरेशन, फैशन डिजाइनर, एक्सरे, टेक्नीशियन, लैब, पैथालोजिस्ट, मोबाइल रिपेयरिंग, मासकम्युनिकेशन, साफ्टट्वायज, नृत्यथियेटर, माडलिंग, कुकिंग ट्रेनिंग, हेल्थ केयर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग,

(3)

नं. 95८ दि॰ 22-99-2016 - ५०/ पंचायत समिति छा॰ नं 9२६

Registration No.: 46 Year: 2016

0101 जनार्दन यादव

स्वो गंगासागर यादव

मालपुरमन्दपुर जी रसड़ा जिo बलिया



10 NOV 2016





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 408796

नेटवर्क मार्केटिंग एण्ड रिसर्च ट्रेनिंग, प्रेस रिपोर्टर ट्रेनिंग, होटल मैनेजमेन्ट एण्ड आफिस मैनेजमेन्ट, विजनेस डेवलपमेन्ट ट्रेनिंग पेटिंग, आई० टी० आई०, बाम्बे आर्ट, पालिटेक्निक आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

6: जनविकास हेतु विचारगोष्ठियों, प्रवचन, समाओं, अध्ययन शिविरों, स्मृति दिवसों तथा सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन एवं संचालन करना, तथा धर्मार्थ चिकित्सालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

7: नदियों में गन्दे नाले के पानी व कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसका संचालन करना एवं गंगा सहित अन्य नदियों, नालों एवं पोखरों आदि की सफाई कराने का प्रयास करना।

8: गरीब, हरिजन, विकलांग, मेधावी, निराश्रित, असहाय, मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों बाल श्रमिकों को नि:शुल्क शिक्षा तथा पुस्तके व अन्य शिक्षण सामाग्री प्रदान करना था उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना।

9: पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा वृक्षारोपण करना। प्रदूषण नियंत्रण हेतु मवेशी खानों, पशु अस्पतालों, पदूषण जॉच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

10: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डब्लू० एच० ओ०, सिडवी, कपार्ट, नवार्ड नोराड, डूडा, सूडा, डवाकरा अम्बेडकर ग्राम, समग्र ग्राम, स्वर्ण जयन्ती, स्वरोजगार, स्वजल धारा, सिप्सा आदि योजनाओं को जनहित में क्रियान्वित करना।

न. १६६ दि. 22 - 11 - 2016 - ५० पंचायत समिति रसड़ा जि. बलिया

Registration No: 46 Year: 2016 Book No: 4

उपकोषागार रसड़ा
बलिया – बलिया

W1 पु0 एकराम

मुरुल इसन

उसरपटटी रसड़ा जि0 बलिया





W2 रामधारे यादव

स्व0 हरदेव यादव

सिटी-पी रा0 रसड़ा जि0 बलिया







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 408797

11: बालक/बालिकाओं, कलाकारो, के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय–समय पर खेलों, सेमीनारों, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन, संचालन करना सफल बालक/बालिकाओं, कलाकारो को पुरस्कृत करना

12: भारत सरकार, प्रदेशसरकार, जिला, तहसील, ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन विकास विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।

13: वाटरशेड व जल प्रबन्धन एवं मैनेजमेण्ट योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा ग्रामीणांचलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

14: मात्र शिशु कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने की सही व उचित सलाह देना तथा जगह–जगह निःशुल्क नसबंदी शिविरों, टीकारण शिविरों, पल्सपोलियों शिविरों, हेपेटाइटिस शिविरो, दवाखानों, चैरिटेबुल अस्पतालों, एड्स, अपंगता, कुष्ठ, अंधवता, निवारण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

15: कुटीर उद्योग को बढावा देने मोमबत्ती, अगरबत्ती, दिया सलाई, वाशिंगपाउडर, ब्लीचिंगपाउडर, साबुर, अचार, मुरब्बा, चिप्स, चाकलेट, नकीन, विस्कुट, नील, चाय,कागज की कप, प्लेट आदि बनाने हेतु प्रशिक्षणकेन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

16: समाज में व्याप्त कुरीतियों यथा दहेज, बाल विवाह, नशा, शराब, गाँजा, अफीम, भाँग, तम्बाकू आदि का सेवन करने वालों को बचानेहेतु जागरूकता शिविरों एवं नशा उन्मूलन अस्पताल केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

(5)

न.प्र० सं० 22- 99- 2095 - 45/ पचास समाचार सं.ने. 9269

उपकोषागार रजड़ी
क्षेत्रपत्र – बलिया

10 NOV 2016



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 408798

17: गाँवों का विकास करना तथा गाँवों में निःशुल्क शौचालयों, मूत्रालयों, सफाई, पेयजल, तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रसास करना।

18: गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफ०सी०आर०ए० की समस्त योजनाओं को संचालित कर देश एवं समाज का विकास करना तथा भूतपूर्व एवं शहीद सैनिकों के आश्रित/परिवार जनों के कल्याण के लिए कार्य करना।

19: कस्तूरबा गाँधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना तथा इसके अर्न्तगत आने वाले शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना

20: युवाओं की माँगों को सरकार तकउ सद्भाव पूर्वक पहुँचाने का प्रयास करना तथा युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना।

21: दैवीय आपदा यथा बाढ़, सुखा, भूकम्प, महामारी, ओलावृष्टि, तूफान, आदि के समय लोगो की यथा सम्भव मदद करना तथा पीड़ितों को निःशुल्क भोजन, दवा–इलाज, आवास, वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना।

22: वैकल्पिक ऊर्जा के श्रोतों एवं साधनों का विकास करना, उन पर महत्वपूर्ण शोध करना, उनके उपयोग के बारे में लोगों को जागृत करना, देश में आने वाले ऊर्जा संकट से बचने के लिए अधिकाधिक संख्या में वैकपिल्क ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना तथा इसके प्रचार–प्रसार हेतु अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत मंत्रालय, भारत सरकार एवं वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश से अनुदान/सहायता प्राप्त कर कार्यशालाओं एवं गोष्ठी का आयोजन विभागीय अनुमति से करना, तथा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने हेतु प्रचार–प्रसार करना।

न.२०१ दि. 22- 99- 2016- ५५/ पंचायत कार्यालय क्र. ३. पटेड

उपळोयागार रसड़ा
जिला - बलिया

10 NOV 2016



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 408799

23: कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना।

24: स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता फैलाना तथा इसके अन्तर्गत स्वास्थ्यविभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जन सामान्य को जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना।

25: स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधानों में विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना तथा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जाँच व परीक्षण करना एवं समय–समय पर टीकाकरण आदि कराने का प्रयास करना, कन्या भ्रूण हत्या को को रोकने का प्रयास करना।

26: युवक व युवतियों में समाज सेवा देश सेवा, ग्राम सेवा, सदाचार, कर्तव्य सहायता, आत्म विश्वास व स्वावलम्बन तथा भाई चारे की भावना जागृत करने का प्रयास करना।

27: राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहें मलेरिया, एड्स, कैंसर टी0बी0, चेचक, आदि के उन्मूलन एवं नियत्रंण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधाये विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना।

28: सरकार द्वारा चलाये जा रहें न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मूल भूत सुविधाओं को प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना।

29: स्वास्थ्य राष्ट्र व समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करना तथा आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगा आदि को बढ़ाया देने का प्रयास करना।

Gurpreet



न.प्र2 दि. 22- 99- 2096- Y0/ पत्राचार शाखा दि.-3-9-16



प्रभारी अधिकारी
शाखा – संख्या

10 NOV 2016





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 408800

30: गाँवों में रहने वालली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह–जगह चौपालों, जनजागरूकता कायक्रमों, प्रर्दशनियों आदि के द्वारा लोगों को घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना तथा जगह–जगह निःशुल्क शौचालयों, मूत्रालयों, पेयजल सफाई एवं निःशुल्क व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना।

31: औषधि कार्यों के लिए जड़ी बूटियों का उत्पादन व संग्रह करना, आर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना तथा उनके गुणवत्ता के बारे में लोगों को बताना तथा जल संरक्षण, जल चक्र व जल संसाधन से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

32: गरीब असहाय, निराश्रित बालक/बालिकाओं की सामूहिक व पृथक–पृथक शादी विवाह कराना व उनके विवाह के समय यथाशक्ति भोज्य पदार्थ, टेन्ट आदि सामान उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा विवाहोपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयास करना।

33: कृषि उत्पाद बढ़ाने का प्रयास करना तथा किसानों को नये तकनीकीयंत्रों, खादों, बीजों, कीटनाशक दवाओं उसर भूमि सुधार खादों के प्रयोग की विधि व मात्रा को बताना तथा उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

34: जेटोफा (डीजल का पौधा) (रतन जोत) की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा किसानों को इसके बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण देना एवं जेटोफर के वृक्ष को लगवाने का प्रयास करना। उपलब्ध का प्रयास करना तथा विवाहोपरान्त प्रमाण पत्र करने का प्रयास करना।

न. २०३ दि. 22- 11- 2016 रोजी पत्राद्वारे कळविले आहे.

उपकोषागार रत्नागिरी

10 NOV 2016



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 408801

35: जीव–जन्तुओं के कल्याणार्थ लोगों में जागृति पैदा करना, तथा जीव–जन्तुओं के प्रति क्रूरता के दृष्टिकोण को बदलना तथा लोगों के अन्दर जीव जन्तुओं के प्रति दया भाव पैदा करने का प्रयास करना।

36: युवक/युवतियों के विकास हेतु मोटर ट्रेनिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना, तथा अध्यात्म व व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना

37: जेटोफर के बीज का किसानों को उचित मूल्य दिलवाना एवं उसका क्रय–विक्रय करने का प्रयास करना।

38: आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने एवं किसानों के विकास हेतु औषधीय पौधों व वृक्षों का रोपण एवं उनकी देख–रेख करना तथा उनके प्रभाव के बारे में लोगों को बताना तथा इनसे होने वाले लाभ का प्रचार–प्रसार करना तथा जगह–जगह निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, शिविरों, दवाखानों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना

39: संस्था विकास हेतु आयकर अधिनियम की धारा 12 (क) एवं 80 जी (5) की मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना।

40: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत कब्रिस्तान व मस्जिद चल/अचल सम्पत्ति की देख–भाल व सुरक्षा करना, तथा उसकी बाउन्ड्री वाल तैयार कराने का प्रयास करना।

41: मौलवी तथा धर्मात्माओं के लिए विश्रामकक्षों, भोजन, वस्त्रादि का प्रबन्ध करना

नं. 204 दि. 22-09-2016-407/ प्रमाणित प्रतिलिपि संख्या-2926

उपकोषागार रतड़ा
जिला - झाबुआ

10 NOV 2016



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387867

42: धर्म का प्रचार–प्रसार करना तथा इसके निमित्त योग्य धर्मात्माओं को विदेश भोजन तथा विदेशियों को अपने यहाँ आमंत्रित करना।

43: कब्रिस्तान व मस्जिद के नाम पर पड़ी भूमि में कृषि कार्य अथवा वृक्षारोपण करवाना तथा उससे अर्जित धन को कब्रिस्तान व, समाज विकास व अन्य चैरिटेबुल कार्यों का व्यय करना।

44: कब्रिस्तान व मस्जिद के मैदान की साफ–सफाई, सुन्दरीकरण व सुरक्षा करना

45: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ओल्ड एज होम की स्थापना करना, जिसके अन्तर्गत वृद्ध मौलवी जो कि असहाय हो, उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना उनकी देख–रेख चिकित्सा व उनके पुर्नवासन एवं अंतिम संस्कार की व्यवस्था लिए कार्य करना।

46: भूमि भवन आदि का निर्माण व क्रय–विक्रय (प्रापर्टी डीलर) व ठेकेदारी आदि से सम्बन्धित हर प्रकार कार्य करना।

47: किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था किसी राष्ट्रीय बैंक से ऋण, अनुदान आदि प्राप्त करना।

48: किसी भी राजनेता यथा सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यमंत्री, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, विदेशी सरकार से सहायता दान, चन्दा, अनुदान आदि प्राप्त करना।

49: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत धर्म से सम्बन्धित निःशुल्क पुस्तकालयो, वाचनालयो आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रसास करना।

नं. 20८ दि. 22- 99- 2095 - २०/ जीव सामग्री लेख.5 १३६







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387871

50: विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी यथा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व अर्न्तराश्ट्रीय सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना अथवा संचालित करने का प्रयास करना।

51: सिक्योरिटी गार्डो को प्रशिक्षण देना, तथा सशस्त्र सिक्योरिटी गार्डा डंडा मैन, गन मैन, लेबर, कर्मचारी , आदि उपलब्ध कराने का प्रयास करना

52: कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत ओल्ड एज होम की स्थापना करना, जिसके अन्तर्गत वृद्ध मौलवी जी कि असहाय हो, उनके लिए आवासीय व्सवस्था करना उनकी देख–रेख चिकित्सा व उनके पुर्नवासन एवं अंतिम संस्कार की व्यवस्था लिए कार्य करना।

53: मुस्लिम समुदाय के विकास हेतु भारतीय संविधान की धारा 29 व 30 के अनुसार अल्पसंख्यक विद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करके अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम छात्र–छात्राओं को शिक्षित करने का प्रयास करना।

54: मुस्लिम माइनारिटी के नियमों का पालन करते हुए मदरसों, मकतबों, तहतानिया, फौकानियाँ, आलियाँ, हाफिज, कारी, मुन्शी, मौलवी, कामिल, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, निश्वां मदरसों तथा उच्च स्तर तक की शिक्षा देने हेतु विद्यालयों महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

55: मंदिर की देख–भाल, पूजा साफ–सफाई, जीर्णो द्धारा से सम्बन्धित हर प्रकार का कार्य करने का प्रयास करना।

56: साधू–संतों तथा धर्मात्माओं के लिए विश्रामकक्षों में भोजन, वस्त्रादि का प्रबन्ध करना।

क्र. २०६ दि. २२-११-२०१८ पर्यंत संपर्क क्र. ५ १६६







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387872

57: धर्म का प्रचार–प्रसार करना तथा इसके निमित्त योग्य धर्मात्माओं को विदेश भेजना तथा विदेशियो को अपने यहाँ आमंत्रित करना।

58: मंदिर के नाम पर पड़ी भूमि में कृषि कार्य अथवा धर्मशाला निर्माण व मरम्मत करवाना तथा उससे अर्जित धन को मंदिर एवं धर्मशाला विकास व चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना।

59: मंदिर एवं धर्मशाला के अर्न्तगत आने वाले चढ़ावे, चन्दा, दान, अनुदान, ऋण, सरकारी, गैर सरकारी तथा जनता आदि के मदद से प्राप्त धन का यज्ञ, हवन, पूजा, प्रसाद, मंदिर विकास एवं सामूहिक भोज आदि कार्यों में व्यय करना

60: मंदिर एवं धर्मशाला परिसर में स्थिति मैदान की साफ–सफाई, सुन्दरीकरण, सुरक्षा करना।

61: मंदिर परिसर के अर्न्तगत ओल्ड एज होम की स्थापना करना, जिसके अन्तर्गत वृद्ध साधु–सन्त, पुरुष महिला जो कि असहाय हो, उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना उनकी देख–रेख चिकित्सा व उनके पुर्नवासन एवं अंतिम संस्कार की व्यवस्था लिए कार्य करना।

62: मंदिर की चल/अचल सम्पत्ति की देख–भाल व सुरक्षा करना, मंदिर परिसर के अर्न्तगत विवाह मंडप (मैरिज हाल) की स्थापना एवं संचालन करना तथा उससे अर्जित धन को मंदिर विकास में व्यय करना।

63: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, संतरविदास पूजा, महाशिव रात्री आदि के समय मेले का आयोजन एवं संचालन करना।

ह-२०६ दि॰ २२-११-२०१३-दर्ज अदालत तय ई.१३६



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387873

64: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले ग्रामीणों के आर्थिक, नैतिक व सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास करना।

65: गरीबी कम करने तथा ग्रामवासियों में बेहतर जीवन स्तर, आपसी सहयोग एवं एकता लाने का प्रयास करना तथा सामान्यतया खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन द्वारा विकास करना।

66: खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के क्रियान्यवयन हेतु आनुबांसिक/प्रारम्भिक गतिविधियों को प्रारम्भ करना।

67: किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, बैंक अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों आयोग/अथवा राज्य मण्डल, और अथवा संस्था/और/अथवा/संघ/राज्य सरकार से चन्दा, दान, अनुदान, वसीयत और धरोहरी की योजना प्राप्त अथवा स्वीकार करना।

68: संस्था द्वारा अपने सभी अथवा किन्हीं उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी भी भूमि, भवन, सूबाधारी, तथा बल और/अथवा अचल सम्पत्ति और किसी सम्पदा अथवा हित को दान, क्रय-विनियमय, किरायें या पट्टे द्वारा अथवा अन्यथा किसी भी तरह से अर्जित करना।

69: मकानों, संरचनाओं अथवा भवनों को बनाना, निर्माण तथा रख-रखाव तथा विद्यमान भवन सहित उसमें हेर-फेर, विस्तार, सुधार, मरम्मत, परिवर्तित अथवा किंचित परिवर्तन एवं उसमें प्रकाश, नाली, पानी फर्नीचरों, जूड़नारों, यंत्रों, उपकरणों, संविधों से सुसज्जित और

ন.প্র.২ তাং 22-11-2024-25/প্রাঃ চাঃ মেঃ নং 926



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387874

प्रत्येक भवन जिसका निर्माण किया या धारित हैं। उपयोग के लिए अन्य अवश्यकताओं की व्यवस्था करना

70: संस्था से सम्बन्धित जो भी परिसम्पत्तियों (चल एवं अचल) है का क्रय विक्रय, प्रबन्ध, हस्तान्तरण, विनियम, बंधक, डिमाइस, पट्टा अथवा किराये पर लेना निस्पादन अथवा सम्पत्ति के विषय में अन्यथा संव्यवहारकरना संस्था से सम्बन्धित सभी अथवा किसी चल या अचल परिसम्पत्तियों पर जमानत रहित/या सहित अथवा बंधक प्रभार, भाराक्रान्ति या गिरवी रखना

71: संस्था के उददेश्यों को अग्रसर करने के लिए बैंक/बैंकों में खाता/खाते खोलना तथा लेन–देन अथवा जैसी भी आवश्यकता जो बैंक/बैंकों के साथ किसी भी तरीके से संव्यवहार करना।

72: संस्था की सभी अथवा किन्ही उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए शाखाऐं खोलना एवं संचालन करना और ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व उठाना।

73: संस्था की किसी भी गतिविधियों की उपलब्धि के लिए प्रसांनिक अथवा नेतृत्व सम्बन्धित सभी कानून समस्त कार्य तथा उसके लिए आवश्यक खर्च करना।

74: संस्था के लाभ का उपयोग संस्था के लक्ष्यों को पूरा करने में किया जायेगा और उसे सदस्यों को नहीं बाटा जायेगा।

75: केन्दीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उ0प्र0 खादी कमीशन के पैटर्नानुसार खादी वस्त्रों एवं खादी कच्चे धागों का निर्माण करना तथा इसके लिए लघु उद्योगों की स्थापना व संचालन

न.प्र.दे वार्ता 22-99-2075-20/ जीव अवगत क्र.न 926







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387875

करके बेरोजगार लोगों को वस्त्र बनाने व बेचने का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना।

76: खादी का प्रचार–प्रसार करना तथा इसके निमित्त लघु उद्योगों की स्थापना एवं संचालन करना तथा खादी ग्रामोद्योग, खादीकमीशन, केन्द्रीय खादी बोर्ड से ऋण, अनुदान, दान, चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसका उपयोग संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना।

77: केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग/उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संस्था विकास में कार्य करना।

78: निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर उठाने का प्रयास करना।

79: कार्यक्षेत्र के निवासियों विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों तथा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के सर्वांगिण विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का संयोजन तथा संचालन करना

80: क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को उठाने हेतु रोजगार के अवसरों का सृजन करना तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु उद्योग तथा सेवाओं की विकास की योजनाये बनाना तथा कार्यक्रम चलाना

81: क्षेत्र के समग्र विकास के परिपेक्ष्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी कमीशन बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रवित्तयों एवं पैर्टन के अनुसार मुख्यतः खादी और ग्रामोद्योग की गतिविधियों को अपनाना व विकास की योजना बनाना तथा खादी ग्रामोद्योग तथा अन्य ग्रामीण उद्योग (रूरल इण्डस्ट्रीज) के विकास/प्रसार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

ई-296 क्रा. 22- 99- 2018- 20/ केंद्र सरकार का ई 9E6







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387876

82: मत्स्य पालन हेतु मत्स्य बीज की सप्लाई करने का प्रयास करना।

83: मत्स्य पालन हेतु तालाबों, पोखरों आदि का पट्टा लेना तथा उसमें मत्स्य पालन कर देश व जनता के विकास करने हेतु प्रयास करना।

84: मत्स्य पालन व्यवसाय को बढ़ावा देना तथा इस निमित्त व्यवसायियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

85: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले तालाबों व पोखरों की साफ–सफाई व जीर्णोद्धार से सम्बन्धित हर प्रकार का कार्य करने का प्रयास करना।

86: मत्स्य पालाकों में उत्पन्न आपसी विवाद को सद्भाव पूर्वक हल करने का प्रयास करना

87: मत्स्य बीज का उत्पादन करना व मत्स्य पालकों में निःशुल्क वितरण करना

88: मत्स्य विकास में चलाई जा रही सभी योजनाओं का संचालन करने का प्रयास करना

89: समयानुसार संस्था के विकास हेतु बी0एड0, बी0पी0एड0 सी0पी0एड0 बी0टी0सी0, यू0टी0सी0 आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

90: उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा जनसेवा केन्द्र, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों, तथा निःशुल्क ग्राहक सेवा केन्द्रों आदि की स्थापना व संचालन विभागतीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

क्र. 297 तां० 22-07-2015-20/नीरज कुमार का.उ. 2015



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387877

91: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत सी0बी0एस0ई0 विद्यालयों, आई0सी0एस0ई0 विद्यालयों, इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्व विद्यालयों आदि की स्थापरा व संचालन करना।

92: पैरामेडिकल काजेज के अर्न्तगत नर्सिगहोमों, फार्मेसी, पैथालाजी, रेडियोजाली, फिजियोथेरैपी, ऑप्टोमिर्टी, नर्स, आदि प्रशिक्षण केन्द्रों तथा मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेजों, विश्व विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

93: गो पालन एवं पशुपालन के माध्यम से भारत एवं पशुपालन के माध्यम से भारत राष्ट्र को सुखी सम्बृद्धिशाली सशक्त तथा सम्पन्न बनाने का प्रयास करना।

94: गोबंश एवं कृषि के उपयोगी पशुधन को वध को वध से बचाने का प्रयास करना।

95: सम्पूर्ण गोबंश को कसाईयों एवं गोबंश तस्करी से छुड़ाने का प्रयास करना।

96: तस्करों एवं कसाईयों से छुड़ाये गये गोबंश एवं पशुधन अपने अभिरक्षा में लेकर उनका भरण–पोषण एवं सेवा सुश्रुवा करना।

97: गोबंश से सभी सम्बन्धित मुकदमों की पैरवी करना तथा तस्करों को कठोरतम दण्ड दिलाने का प्रयास करना।

98: गोबंश विकास योजना के माध्यम से बेकारी समस्या का निदान करना, जिसमें महिला दुग्ध उत्पादक योजना भी समाहित करने का प्रयास करना।

क्र. 292 दि. 22-11-2018. अन्वये दिलेले कागदपत्र रद्द. ई एस ई



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387878

99: पंच गव्य (गाय का दूध, दही गोमत्र, गोबर, गोधृत) से सभी प्रकार की औषधियों का निर्माण करना तथा गोबर से अगरबत्ती, साबुन, दंत मंजन पाउडर आदि का निर्माण करने की सही व उचित राय देने का प्रयास करना

100: उत्तम जाति के साड़ों के माध्यम से गोबंश विकास करके अधिक दूध देने वाली जाति की संतानों को उत्पन्न करने का प्रयास करना।

101: गोमॉस एवं मॉस निर्यात पर विशेष ध्यान देकर मॉस निर्यात रोकने का हर प्रकार से प्रयास करना।

102: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत राजर्षि टण्डन मुक्त विश्व विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

103: उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा जनसेवा केन्द्र, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों तथा निःशुल्क ग्राहक सेवा केन्द्रों आदि की स्थापना व संचालन विभागतीय, अनुमति से करने का प्रयास करना।

104: स्वास्थ्य राष्ट्र व समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करना तथा होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा, इक्यूप्रेशर आदि को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा नर्स प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

105: कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना।

फ. 292 ता॰ 22-11-2016 की सूचना तथा ई मेल



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387879

106: बेरोजगार युवक/युवतियों को शिक्षित प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना।

107: राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत चल रहें मलेरिया, काला औजार, डेगू बुखार जापानी इनसेफलाइटिस, फाइलेरिया, क्षय रोग, रचित रोग, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय संचारी रोग, निगरानी कार्यक्रम, कैंसर, टी0बी0, चेचक, गिनी कृमि, याज आदि के उन्मूलन एवं नियत्रंण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों कोप्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधाये विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना

108: ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लागों को स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रयास करना तथा गरीब, असहाय, लोगों को भोजन, चिकित्सा, आवास, वस्त्रादि निःशुल्क प्रदान करने का प्रयास करना।

109: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत बौद्य बिहार स्थापन व संचालन करना तथा पुराने बौद्ध बिहारों की देख–भाल, सुरक्षा तथा जीर्णाद्वार आदि से सम्बन्धित हर प्रकार कार्य करना।

110: बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अयोजन एवं संचालन करके उनके कृतियों का समाज में प्रचार–प्रसार करने का प्रयास करना तथा बौद्ध बिहार आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना।

111: अम्बेडकर जयन्ती, कांशीराम जयन्ती, संत रविदास जयन्ती आदि समारोह विशेषकर वार्षिक श्रृंगार आदि को धूम–धाम से मनाने हेतु कार्यक्रमों का अयोजन एवं संचालन करना।

अध्यक्ष

ন. 298 তা- 22- 11- 2016- এর সঙ্গে সমান নং-ই 9268



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387880

112: भीमराव अम्बेडकर प्रतिमाओं, बैद्ध बिहारों आदि का जीर्णोद्धार, निर्माण, सुन्दरीकरण, सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करना

113: भारत सरकार, प्रदेश सरकार, जिला, तहसील, ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं व बौद्ध बिहार क जीर्णोद्धार की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना

114: बौद्ध बिहार में आने वाले आगन्तुकों के लिए विश्रामकक्षों, स्वच्छ पेय जल, शौचालय, मूत्रालय आदि का प्रबन्ध करना।

115: बौद्ध बिहार की चल/अचल सम्पत्ति की देख–भाल व सुरक्षा करना।

116: समय–समय पर बौद्ध धर्म दीक्ष समारोह का आयोजन तथा दीक्षा ग्रहण करने वाले बौद्धों को दीक्षा प्रमाण पत्र विभागीय अनुमति से निर्गत करने का प्रयास करना।

117: बौद्ध धर्मो से जुड़े सभी संस्कारों का सम्पादन करना तथा विभागीय अनुमति से प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयास करना।

118: बौद्ध धर्म का प्रचार–प्रसार करने का प्रयास करना।

119: दलित, शोषित तथा निर्धन लोगों में फैली असमानता, अन्धविश्वास तथा कुरीयों को दूर करने का प्रयास करना।

120: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आने वालें सरकारी कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु कार्य करना।







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387881

121: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों आदि के बीच उत्पन्न आपसी विवाद को सद्भाव पूर्वक हल करने का प्रयास करना।

122: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों आदि को एकजुट कर उनकी मांगों सद्भाव पूर्वक सरकार से हल कराने का प्रयास करना।

123: सरकारी कर्मचारियों के कल्याणार्थ चलाये जा रहे समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी, देशी एवं विदेशी योजनओं का प्रचार–प्रसार करना एवं उनकी सुविधाओं को समिति के माध्यम से दिलाने का प्रयास करना।

124: सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के उपर हो रहे अनैतिक अत्याचारों के विरूद्ध आवाज उठाना तथा उन्हें एक जुट कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष स्वयं अथवा कोर्ट के माध्यम से अपना विचार प्रकट करना।

125: मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना तथा किसानों मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करना।

126: कृषि यन्त्रीकरण को बढ़ावा देना तथा नये कृषि यन्त्रों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

127: हरितक्रान्ति योजना को सफल बनाने का प्रयास करना तथा उसके द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन, तथा दुग्ध उत्पादन केन्द्र(डेयरी) की स्थापना व संचालन करना।

128: मेड़बन्दी, भूमिसमतलीकरण एवं अन्य कृषि यानिकी को प्रोत्साहन देना, तथा उससे सम्बन्धित योजनाओं का आयोजन एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

नं. 296 दि. 22-09-2014-इ०/कौशि कार्यालय रतन ३१२६



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387882

129: नदियों में गन्दे नाले के पानी व कचरे को जाने से रोकने के लिये कार्यक्रम बनाना तथा उसका संचालन करना एवं गंगा सहित अन्य नदियों, नालों एवं पोखरों आदि की सफाई कराने का प्रयास करना।

130: राज्य सरकार, केन्द्र सरकारी, समाज कल्याण, अल्संख्यक, हरिजन कल्याण, बाल कल्याण, महिला कल्याण आदि भिन्न विभागों द्वारा जारीजनकल्याणकारी योजनाओं का आयोजन एवं संचालन करने का प्रयास करना।

131: पायलेट प्रशिक्षण केन्द्रों, सीमेन्ट ईट का निर्माण, मिट्टी ईट का निर्माण, पेट्रोल पंप आदि की स्थापना व संचालन करना।

132: बालू खदान, मार्बल खदान, पत्थर खादान, लोहा खदान, कोयला खदान, तालाब खदान आदि विभिन्न प्रकार के खनिज विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करने का प्रयास करना।

133: शेयर बाजार के बारे में लोगों को निःशुल्क जानकारी देना तथा इस निमित्त पत्र, पत्रिकाओं, अखबारों व अन्य दैनिक समाचार पत्रों व पत्रिकाओं का प्रकाशन व मुद्रण करने का प्रयास करना।

134: मरणोपरान्त अंगदान के इच्छुक व्यक्ति के अंग प्राप्त कर उसे जरूरतमंदो को प्रदान करना तथा ब्लक बैंक का संचालन करना।

135: ट्रस्टहित में ट्रस्ट या किसी संस्था की सम्पत्ति यथा भूमि, भवन का क्रय–विक्रय (बेचना व खरीदना) दान, बन्धक, एग्रीमेन्ट, पट्टे तथा भाड़े आदि पर लेने और देने का अधिकार मुख्यट्रस्टी को होगा।

136: कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आई0टी0आई0, पालिटेक्नीक इंजीनियरिंग, कालेजों, मेडिकल, कालेजों, आदि की स्थापना एवं संचालन करना

नं. 296 दि॰ 22-11-2016- 20/गरीब कल्याण रजि-ई 926







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387883

प्रारम्भिक उपबन्ध

1. वर्तमान के ट्रस्ट डीड के पंजीकृत दिनांक 22.11.2016 से श्री जनार्दन यादव जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है को इस ट्रस्ट डीड का मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी यानी प्रबन्धक स्वीकृत किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक श्री जनार्दन यादव द्वारा रजिस्टार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चत किया जाय तो उनके पश्चात् उनकी पत्नी/पुत्र जो हो इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होगें। यदि उनके पुत्र/पुत्री बालिग न हो तो उनकी पत्नी को इस ट्रस्ट की तब तक मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी संस्थापक/प्रबन्धक होंगी जब तक उनके पुत्र/पुत्री कानूनी रूप से बालिंग न हो जाय।
3. वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संथापक ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने जीवन काल में ही जब चाहे, अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते है।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य स्थापक ट्रस्टी प्रबन्धक को चाहिए कि अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की यह व्यवस्था रजिस्टार के यहाँ रजिस्टर्ड कराये अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चत कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।
5. यदि श्री जर्नादन यादव के निधन के समय उनके बच्चे नाबालिग हो तो उनकी ओर से उनकी पत्नी मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक का कार्य तब तक सम्भालेगी जब तक उनके पुत्र/पुत्री कानूनी रूप से बालिग न हो जाये।

जनार्दन यादव

ई 22 दि 22-11-2096 - 22/ जैसे कथन 29 ई 2826



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387884

6: यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने उत्तरधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकेगा।

7: कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संथापक ट्रस्टी/प्रबन्धक तभी अपने अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार पर पुनः विचार करने हेतु स्वंतत्रत है जब तक की वास्तविक रूप से कार्यभार उपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।

8: कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संथापक ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्य भार हस्तान्तरण समस्त अधिकारो सहित पूर्ण माना जायेगा।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज

1: यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संथापक/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो नियमों पर विचार विमर्श करने एव सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है। जिसमें अधिकतम 12 सदस्य होंगे, जो इण्टरमीडिएट एजूकेशनल ऐक्ट के अनुसार एक अध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उप प्रबन्धक/उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, तथा सात सदस्य एवं तीन पदेन सदस्य होगें जिनकी नियुक्ति पदोन्नोति/निष्कासन/समाप्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/संथापक ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने विवेक से स्वयं कर सकता है। जिसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में किसी भी सदस्य/पदाधिकारी/कर्मचारी के कोई वाद दायर करने का अधिकार नही होगा।

2: बोर्ड आफ ट्रस्टीज के गठन हेतु इच्छुक व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी /मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक के पास रूपया 10000 जमा कर बोर्ड आफ ट्रस्ट का सदस्य बन सकता है परन्तु उनका कार्यकाल मात्र एक वर्ष का होगा या उसके कार्यकाल का निर्धारण ट्रस्टी प्रबन्धक स्वयं कर सकता है।

रु. 250 दि. 22-11-2015 20/अतिरिक्त लगाया गया है 926



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387885

3: यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी का कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की इच्छा पर निर्भर करेगा तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी को कारण बतायें बिना उसका ट्रस्टी का पद समाप्त कर सकता है। जिसके खिलाफ किसी भी माननीय न्यायलय में किसी भी सदस्य या कर्मचारी को कोई वाददायर करने का अधिकार नही होगा।

4: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टी (सदस्यों) की बैठक बुला सकता है। जिसकी अध्यक्षता स्वयं मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थपक ट्रस्टी प्रबन्धक ही करेंगे।

5: बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हें विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/ मुख्य संस्थपक ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6: बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनजिंग ट्रस्टी/ मुख्य संस्थपक ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य व अन्तिम निर्णय होगा ।

कार्यकाल

1: ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एव इस ट्रस्ट के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त रहेगा। वह जब तक जीवित रहेगा अपने मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक पद पर बना रहेगा। संस्थापक/मुख्यट्रस्टी के अन्त के बाद मुख्यट्रस्टी की पत्नी /पुत्र/पुत्रवधु/ पौत्र/ पौत्री क्रमशः जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/मुख्यट्रस्टी का पद धारण करेंगे। इनके दर पीढ़ी दर चलती रहेगी मुख्य/संस्थपक ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने इच्छा अनुसार जीवन

न. 220 दि॰ 22- 99- 2016- इव बीज सप्लाय लेब. ई. 9265







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387886

काल में ही यदि चाहे तो अपने उत्तराधिकारी को मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी बना सकता हैं।

2. मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं यहाँ की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर पर सुनिश्चित करने में मैनजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

3. मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट के मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आय कर लगाता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट से प्राप्त आय से ही आय कर का भुगतान करेगा।

कार्यक्षेत्र

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा। सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी भी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं उपहार, अनुदान, दान, चन्दा, ऋण आदि प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व सलाह दे सकता है। अथवा ट्रस्ट विश्व के किसी भी राष्ट्र में अपना कार्यालय स्थापित कर कार्य का संचालन कर सकता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थपक ट्रस्टी/प्रबन्धक को यह विशेषाधिकारः-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि यह ट्रस्ट का अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्ताक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत, संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थपक ट्रस्टी / प्रबन्धक ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी

क्र. 229 दि॰ 22-11-2016-24 पीठ कथन क्र.सं. 1616



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387887

दिशानिर्देश दे सकता है। जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार्य होगा।

2. ट्रस्ट या संस्था के विरुद्ध कार्य करने वाले सदस्य को बिना कारण बताये मुख्य संथापक ट्रस्टी द्वारा निकाला जा सकता है। जिसमें किसी को आपत्ति नही होगी एवं उस पद पर किसी अन्य को रखने का अधिकार केवल मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी को ही होगा। इस पर किसी भी माननीय न्यायालय में किसी सदस्य या कर्मचारी को वाददायर करने का अधिकार नही होगा।

3. मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्स्थापक ट्रस्टी प्रबन्धक ट्रस्ट की किसी भी चल/अचल सम्पति का क्रय विक्रय अथवा रेहन रख सकता है।

4. ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्रय विक्रय (बेचने व खरीदने) का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक के पास सुरक्षित होगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/संचिव, उपप्रबन्धक/उपसचिव, कोषाध्यक्ष तथा 7 सदस्य व 3 पदेन सदस्य की नियुक्ति पर विचार

1. मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट के प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देख–भाल करने के लिये के उक्त लोगों की नियुक्ति कर सकता है।

2. उनके वेतन भत्ते, सुविधायें, कार्यनियम मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा निश्चित किये जायेगें।

3. उक्त सभी लोग मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धक के अनुग्रह तथा प्रसाद प्रयान्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी समय बिना कोई कारण बतायें उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक, अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक

क्र. 222 दि॰ 22-09-2015-24/वीस रुपया का-ट 9 ई







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387898

कार्यावाही कर सकता है अथवा उक्त पदो के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी/संथापक ट्रस्टी प्रबन्धक के अधिकार व कर्तव्य

1. बोर्ड आफ ट्रस्टी के बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढंग से देख–रेख करने के लिये कर्मचारियों/पदाधिकारियों/सदस्यों की नियुक्ति करना।
3. इस ट्रस्ट के अन्तर्गत उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन करने हेतु रजिस्टार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

खाता संचालन की व्यवस्था :–

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में ट्रस्ट के नाम से खोला जायेगा जिसका संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा स्वयं किया जायेगा।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता संचालित किया जा सकता है। इस स्थित में स्वयं मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता का संचालित किया जा सकता हैं।

नं. 223 दि. 22-09-2016 को वीरेन्द्र कुमार द्वारा रु. 9६६



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387889

विधिक कार्यवाही

यदि ट्रस्ट की ओर से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो, मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक की अनुमति से अधिवक्ता नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं ट्रस्टी अथवा ट्रस्टी द्वारा नियुक्त किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी/सदस्य द्वारा किया जायेगा।

सम्पत्ति सम्बन्धित अधिकार

1. ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक को प्राप्त होते है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पति के सम्बन्ध में ट्रस्ट/संस्थ की ओर से कोई निर्णय लेने, लेख–विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धक किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख–विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतः समर्थ एवं अधिकृत होगा।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/ संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय रेहन कर सकता है या किराये पर दे अथवा ले सकता है।

न: 228 लि॰ 22-11-2016 - 20/ पीलि समाचार लो.नि. गोंडा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387890

5. ट्रस्ट किसी भी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, संस्था, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा विदेशी सरकार से ऋण, दान, अनुदान, उपहार, चन्दा, आग्रह, भेट, सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानेदय आदि प्राप्त व प्रदान कर सकता है।

6. ट्रस्ट अपनी आय को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है। किसी भी संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में अपनी आय को विनियोजि कर सकता है।

7. चल/अचल सम्पति की प्रतिभूति, भाड़ा, क्रय, अनुज्ञप्ति, बन्धक, भाराक्रन्ति विनियोजित आदि कर सकता है तथा ले अथवा दे सकता है।

विशेष

1. इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय कार्यक्रम इकाई, कार्यालय, संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक-पृथक रूप से मुख्यट्रस्टी कर सकता है।

2. ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की प्रबन्धक समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी कारण बस विलम्ब होता है तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो

सं: 22५ सी॰ 22 - 99 - 2016 - 20/ मीसि 20पमा सं-5 9६६



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387891

जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

3. नियम/उपनियम आदि बनाये जा सकते है, परन्तु यदि वह इस डीड आफ अपने के उद्देश्य व नियमावली के किसी भी प्राविधान का प्रतिक्रमण करते है तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमाण की सीमा तक शून्य है।

4. मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो किसी किन्ही परिस्तिथियों में इस ट्रस्ट डीड किसी प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकता है। इस सम्बन्ध में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कहीं भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी। ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित सभी उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, पारित, आत्मसर्पित है तत्काल से कार्यान्वित की जाती है।

5. विदेशों में रह रहे ऐसे भारतीय नागरिकों/श्रमिकों जिन्हें बन्धक बना कर नारकीय जीवन जीने के लिये मजबूर किया गया है अथवा उनके ऊपर अन्य प्रकार से सरकार/नियोक्ता द्वारा अन्याय/अत्याचार किया जा रहा है/ मानवा अधिकारों का हनन हो रहा है/धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है तो ट्रस्ट ऐसे नागरिकों

न्या 224 दि॰ 22-11-2016 - श्री/श्रीमति अधिवक्ता का॰ नं॰ 4813







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387892

के लिये विदेश मंत्रालय का ध्यानाकृष्ट कर उन्हें स्वतंत्र कराने का अनुरोध करेगा, तथा स्वदेश वापसी पर उनके पुर्नवास की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा। इस

अतिरिक्त नियमों का समावेशः–

(अतिरिक्त नियमों का समावेश) निम्नलिखित नियमों का समावेश ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों के संचालन हेतु किया गया है।

क: इस ट्रस्ट के अन्तर्गत महर्षि बाबा गालू दास ना0 गंगा इण्टर कालेज शाहमुहम्दपुर चन्द्रवार रसड़ा बलिया एवं महिर्ष बाबा गालू दास गंगासागर महाविद्यालय शाहमुहम्दपुर चन्द्रवार रसड़ा बलिया कि संस्थाए संचालित हो रही हैं। तथा भविष्य में अन्य संस्थाए भी संचालित होगी जिसके मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक जनार्दन यादव हैं।

ख: विद्यालय के पंजीकृत ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन होगा।

ग: विद्यालय की प्रबन्धक समिति में ट्रस्टी द्वारा नामित सदस्य होगा।

घ: विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी बच्चें के लिये सुरक्षित रहेंगें और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा। जनार्दन यादव

क्र. 226 दि. 22-09-2016 - 24 अतिरिक्त सत्यापन हेतु रु. 936







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 387893

ङ: ट्रस्ट द्वारा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, सांसद, विधायक व विकास निधि से अनुदान की मॉग की जायेगी और यदि विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से भी मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/कौसिल फार

इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है।

च: संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे।

छ: कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और सहायता प्राप्त अशासकीय उचत्तर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध करायें जायेंगे।

ज: राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

झ: विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

ञ: उपरोक्त शासन के नियम/प्रतिबन्ध क्र०सं० क से ञ तक हमें स्वीकार है। उक्त शर्तों को मेरे द्वारा बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन नही किया जायेगी।

न-22८ वा- 22- 99- 2016- 2/वीस 2/नाग वा-ते 9२६





भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AA 387894

उक्त ट्रस्ट के नियमों/विनियमों के पढ़ समझ कर गवाहान के समक्ष हस्ताक्षर बनाया गया। वर्तमान में ट्रस्ट/न्यास के पास 5000/– रू0 के अतिरिक्त कोई चल/अचल सम्पत्ति नहीं है।

जनार्दन यादव

जनार्दन यादव

मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक के स्पष्ट हस्ताक्षर





22/11/2016

22/11/2016

ने. 228 ता. 22-11-2016 - 24 बीघा स्थाय ता.ऊ.पि.ई.

सब रजिस्ट्रार

दिनांक 23/11/2016 को

बही नं. 4 जिल्द नं. 20

पृष्ठ से 229 से 302 पर क्रमांक 46

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आजाद सिंह

उप निबन्धक रसड़ा

रसड़ा

23/11/2016

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AAFTM1264P



नाम / Name
MAHARSHI BABA GALU DAS BAHUAYAMI
GANGASAGAR S P S SANSTHAN TRUST

निगमन/गठन की तारीख
Date of Incorporation/Formation
23/11/2016

1307/2017